

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी बायतु..... मुकाम.....
जिला-वाडमेर

..... बनाम..... राजाराम कोरी

किस्म मुकदमा..... नं. 215/2022 सन. 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रिण्डवाम सिपाही</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>11, 120</u>.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>28/6/22</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-वाडमेर</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विपार्थी- जातों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये जाये जिनकी एडी जाफ्त नहीं हुई है। इन्तजार दोहरा पत्रावली दिनांक - 24/08/2022 को पेश है।</p>	<p>28/06/2022</p> <p>सहायक कमिश्नर (SDO) बायतु जिला - वाडमेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय

कमरा नं. १०८/२०२२

24/08/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब दो माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

राज्यक कलक्टर (SDO)

बायतु

जिला - बाँसगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1284

दिनांक:- 24/08/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भुराराम पुत्र मानाराम,
जाति जाट, निवासी भोजासर,
पटवार मण्डल सेवनियाला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. गजाराम पुत्र मोतीराम वगैरा 92,
जाति जाट, निवासी भोजासर,
पटवार मण्डल सेवनियाला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 215 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - भोजासर, पटवार हल्का - सेवनियाला, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 119, 469/38, 475/38, 481/41, 487/58 रकबा क्रमशः 2.2005, 3.2360, 0.6472, 0.7200, 3.9641 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पुक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद / 2022 / 1285-89

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री भुराराम पुत्र मानाराम,
4. विप्रार्थी श्री गजाराम पुत्र मोतीराम वगैरा 92,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

(जयदीप सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 24/08/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु